

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती जानकी कर्ष व्याख्याता (एल.बी.) हिन्दी	शा. उ.मा.वि. बैमा वि.ख. बैकुण्ठपुर जिला- कोरिया	शा. उ.मा.वि. फरसवानी वि.ख. करतला जिला- कोरबा

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पंचराम साहू व्याख्याता (एल.बी.) हिन्दी	शा. उ.मा.वि. टेमरी वि.ख.- नवागढ़ जिला- बेमेतरा	शा. उ.मा.वि. अर्घौद वि.ख.- गुण्डरदेही जिला- बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


24/4/26

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सरिता दास व्याख्याता जीव विज्ञान	शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला घोटिया ब्लाक डोंगरगढ़	शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हरदीकला ब्लॉक- बिल्हा जिला- विलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती प्रतीक्षा वैष्णव, व्याख्याता (वाणिज्य)	शास. उ. माध्य.वि. बैहाकापा, वि.खं. व जिला मुंगेली	शहीद संजय यादव शा.उ.मा.वि. संजय नगर, टिकरापारा थाना के पास, रायपुर,

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रामेश्वर प्रसाद वर्मा व्याख्याता (अंग्रेजी)	डॉ. राममनोहर लोहिया शा. उच्चतर मा. विद्यालय-संतोषी नगर, रायपुर विख-धरसीवा, जिला रायपुर	शास.उच्चतर मा. विद्यालय-बढ़ाईपारा रायपुर, विख-धरसीवा, जिला रायपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नीता साहू व्याख्याता एल.बी. गणित	शा.उ.मा.वि. धौराकोट, वि.ख.- देवभोग, जिला-गरियाबंद	शा.उ.मा.वि. छाती वि.ख. व जिला धमतरी

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सरिता दास व्याख्याता एल.बी. (जीव विज्ञान)	शास.उ.मा.वि.घोटिया वि.खं. डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव	जिला शिक्षा अधिकारी विलासपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय, व्याख्याता एल.बी. (भौतिकी)	शास.उ.मा.वि. करमंदा जिला- जांजगीर चांपा	जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

374

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री राजेश कुमार मिश्रा व्याख्याता (गणित)	शास.हाईस्कूल जोरातराई वि.खं. कुरुद जिला-धमतरी	जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मनीषा नवरंग, व्यवस्थापिका (रसायन)	शास.उ.मा.वि. मगरलौड जिला- धमतरी	शास.उ.मा.वि. खरतुली वि.खं. व जिला धमतरी

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संध्या देवी पैकरा व्याख्याता (गणित)	शास.उ.मा.वि. सिरमिना वि.खं. पोड़ी उपरोडा जिला-कोरबा	जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अवनीश तिवारी व्याख्याता (गणित)	शास.उ.मा.वि. झबड़ी वि.खं. कसडोल जिला-बलौदाबाजार	जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मधुलता चन्द्राकर, व्याख्याता जीव विज्ञान	शास. उ.मा. विद्यालय मेड़ो(दुर्गकोदल) जिला-कांकेर	जिला शिक्षा अधिकारी बालोद के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती ऋचा शुक्ला, व्याख्याता एल.बी. अंग्रेजी	शास.हाईस्कूल बोडतरा वि.खं. भाटापारा जिला-बलौदा बाजार	जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संगीता सिंह, व्याख्याता एल.बी. (जीव विज्ञान)	शास.हाईस्कूल कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय बस्तरनार वि.खं. बस्तरनार जिला-बस्तर	जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कु.अनिता पैकरा, व्याख्याता जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि.धरमजयगढ़ जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि.गोडी वि.ख.व जिला-कोरबा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती स्वाती भट्टाचार्य व्याख्याता जीव विज्ञान	शा.उ.मा.वि.गोठी वि.ख. व जिला-कोरबा	शास. उ.मा.वि. रजगामार वि.ख. व जिला-कोरबा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मोनिका गोस्वामी व्याख्याता (एल.बी.) गणित	शास.उ.मा. शाला, खरतुली, जिला-धमतरी	शास.उ.मा. शाला, मुजगहन, जिला-धमतरी

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


24/4/26

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती स्वाती केशरवानी व्याख्याता भौतिकी टी- संवर्ग	शास.उ.मा.वि., नारायणपुर, वि.खं. लैलूंगा, जिला-रायगढ़	शास.उ.मा.वि., लालपुर वि.खं.गौरेला जिला जी.पी.एम.

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

15

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शैलेन्द्र वर्मा व्याख्याता (एल.बी.) अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि., गातापार जंगल, वि.खं. खैरागढ़, जिला- के.सी.जी.	शास. हाईस्कूल, भरदाकला, वि.खं. खैरागढ़, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती शीतल तायवाड़े व्याख्याता (एल.बी.) जीव विज्ञान	शास.उ.मा.वि., चांदो, वि.खं. छुरिया, जिला-राजनांदगांव	शास.उ.मा.वि., कोसानगर भिलाई जिला-दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती शिल्पी चन्द्राकर व्याख्याता वाणिज्य	शास.उ.मा.वि., खुरमुड़ा, संकुल खुरमुड़ा, ब्लॉक बेरला, जिला- बेमेतरा	शास. आशीबाई गोलछा उ.मा.वि. महासमुन्द जिला महासमुन्द


- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

10

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रामेश्वरी धुर्वे व्याख्याता रसायन	शास.उ.मा.वि., झलमला, वि.खं. बोड़ला, जिला- कबीरधाम	शास.उ.मा.वि., इंदौरी, वि.खं. कवर्धा, जिला-कबीरधाम

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती दीपिका साहू व्याख्याता (एल.बी.) भौतिकी	शास.बहु.उ.मा.वि., भाटापारा, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	शास. उ.मा.वि., कोहका भिलाई जिला दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सारिका साकरकर व्याख्याता (एल.बी) इतिहास	शास.उ.मा.वि., रायतुम, महासमुंद, जिला-महासमुंद	शास.डी.एम.एस. उ.मा.वि. महासमुंद, जिला-महासमुंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सपना शर्मा व्याख्याता अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि., सिरपुर, वि.खं. व जिला-महासमुंद्र	शास. हाई स्कूल लामाण्डी वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सविता वर्मा व्याख्याता इतिहास	शास.उ.मा.वि., छुरिया डोंगरी, वि.खं. छुरिया, जिला- राजनांदगांव	शास. हाईस्कूल सेन्द्री जिला- राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रश्मि साहू व्याख्याता (एल.बी.) वाणिज्य	शास.उ.मा. शाला, मानिकचौरी, अभनपुर जिला रायपुर	शहीद संजय यादव, शास. उ.मा.वि., संजय नगर, रायपुर जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विनय कुमार तिवारी व्याख्याता रसायन	शास.उ.मा.वि., बिलासपुर	शास.उ.मा.वि., लालपुर, रायपुर जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती स्वाति केशरवानी व्याख्याता भौतिकी टी- संवर्ग	शा. उ. मा. वि. नारायणपुर वि. ख. लैलूंगा जिला- रायगढ़	शा. उ. मा. वि. लालपुर वि. ख. पेण्ड्रा जिला- जीपीएम

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एबजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती चंद्रकला दीवान व्याख्याता (एल.बी.) गणित	शा. उ.मा.वि. खैरा जिला- बलौदा बाजार	शास.उ.मा.वि. सरोरा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती एस. सरिता, व्याख्याता गणित	शास.उ.मा.वि. सरोरा वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर	शास. उ.मा.वि. दौंदेकला जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मनीषा तिवारी व्याख्याता रसायन	शा. उ.मा.वि. पदुमसरा वि.ख. साजा जिला- बेमेतरा	शा. उ.मा.वि. कन्या सुपेला भिलाई जिला दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती तनुजा व्याख्याता (एल.बी.) गणित	शा. नाथूजी जगताप न.पा.नि. उ.मा.वि. धमतरी वि.ख. धमतरी जिला- धमतरी	शा.उ.मा.वि. भगत सिंह वि.ख. - जगदलपुर जिला- बस्तर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती नीलम विकास सुखदेवे व्याख्याता (एल.बी.) गणित	शा. उ. मा. वि. टेमरी वि. ख. धमधा जिला दुर्ग	शा. उ. मा. वि. सुपेला भिलाई जिला-दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	किरण गुलहरे व्याख्याता (एल.बी.) गणित	शा. उ.मा.वि. नरियरा वि.ख. अकलतरा जिला- जांजगीर चांपा	शा.उ.मा.वि. तिफरा जिला- बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सरिता मिश्रा व्याख्याता (एल.बी.) वाणिज्य ई-संवर्ग	शा.उ.मा.वि. कपसदा वि.ख. धमधा जिला दुर्ग	शा.उ.मा.वि. शंकरनगर वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कृष्णार्जुन शर्मा व्याख्याता एल.बी., गणित	शास.उ.मा.वि., आरगांव, वि.खं. डोंगरगांव, जिला-राजनांदगांव	शास.उ.मा.वि., बड़ईपारा, रायपुर, वि.खं. धरसीवा, जिला-रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नेहा रजा व्याख्याता एल.बी., गणित	शास.उ.मा.वि., सरोरा, वि.खं. धरसीवा, रायपुर	शहीद संजय यादव, शास.उ.मा.वि., संजय नगर, टिकरापारा, रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती काजल अबस्थी, व्याख्याता अंग्रेजी	शा.उ.मा. वि. तुलसी वि.ख. तिल्दा जिला रायपुर	शा.उ.मा. वि. चंगोराभाठा वि.ख. धरसीवा जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री ममता मरकाम, व्याख्याता एल.बी. गणित	शास. उ.मा.वि. जौधरा वि.खं. मस्तूरी जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. सिरगिट्टी, जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अनिता फड्यानी, व्याख्याता एलबी गणित टी संवर्ग	डा. भीमराव अम्बेडकर शा.उ.मा.वि. औंधी, जिला- मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी	शासकीय उ.मा.वि. दुधावा, विकासखण्ड- नरहरपुर, जिला- कांकेर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शलभ भान द्व्याख्याता, जीवविज्ञान	शास. हाईस्कूल, रामगढ़, जिला-एम.सी.बी.	शास. हाई स्कूल गोपालपुर, वि.खं. कटघोरा, जिला- कोरबा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती कल्पना सोनटेके, व्याख्याता एल.बी., जीवविज्ञान	शास.उ.मा.वि., पदमावतीपुर, वि.खं. छुईखदान, जिला- के.सी.जी.	महारानी लक्ष्मीबाई शास. आदर्श कन्या उ.मा.वि., राजनांदगांव, वि.खं. व जिला-राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती गौत्री माहला, ट्याख्याता एलबी हिन्दी ई	शासकीय हाईस्कूल मोरकुटुम्ब, विकासखण्ड- छुरिया, जिला- राजनांदगांव	शासकीय बालक उ.मा.वि. डोंगरगांव, विकासखण्ड- डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री दानेश्वर भैसरे व्याख्याता, गणित	शास. हाईस्कूल, भरदाकला, जिला-के.सी.जी.	शास.उ.मा. शाला, देवकट्टा, वि.खं. डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री आकाश देवांगन व्याख्याता एल.बी., गणित	शास.उ.मा.वि., भेड़ीकला, वि.खं. व जिला-राजनांदगांव	महारानी लक्ष्मीबाई शास.क.उ.मा.वि., राजनांदगांव, वि.खं. व जिला-राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अशोक ठाकुर, व्याख्याता वाणिज्य, ई संवर्ग	शा.उ.मा.वि. रामपुर, वि.ख. छुईखदान, जिला खै.छु.गण्डई	शा.कन्या उ.मा.वि. बेलगहना, वि.ख. कोटा, जिला बिलासपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विवेक कुमार कामड़े, व्याख्याता गणित, ई संवर्ग	शा.हाई स्कूल मोंगरागहन जिला धमतरी	शा.उ.मा.वि.बघमरा, जिला बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अभिलाषा शुक्ला, व्याख्याता इतिहास, ई संवर्ग	शा.उ.मा.वि. कोसरंगी, वि.ख. आरंग जिला रायपुर	शास.उ.मा.वि. बालक नरदहा वि.खं. आरंग जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती नविता ठक्कर व्याख्याता एल.बी., अंग्रेजी, ई-संवर्ग	शास.उ.मा.वि., घुटुरकुण्डी, वि.खं. पण्डरिया, जिला- कबीरधाम	शास. हाईस्कूल, लिंगियाडीह, वि.खं. बिल्हा, जिला-बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अंजना साव व्याख्याता एलबी हिन्दी ई संवर्ग	शासकीय हाईस्कूल पोड़ी शंकर, विकासखण्ड- बम्हनीडीह, जिला- जांजगीर चांपा	शासकीय हाईस्कूल मटियारी, विकासखण्ड- बिल्हा, जिला- बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती संगीता जायसवाल, व्याख्याता रसायन, ई संवर्ग	शासकीय उ.मा.वि. तारा, विकासखण्ड- प्रेमनगर जिला- सुरजपुर	शासकीय उ.मा.वि. चिचिरदा, विकासखण्ड- तखतपुर, जिला-बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती दीपिका नामदेव, व्याख्याता एलबी हिन्दी ई संवर्ग	शासकीय हाईस्कूल झलमला, विकासखण्ड- अकलतरा, जिला- जांजगीरचांपा	शासकीय उ.मा.वि. चिचिरदा, विकासखण्ड- तखतपुर, जिला-बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अंजना मोदी ध्याख्याता एल.बी. भौतिकी	शास.उ.मा.वि. बालक मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	शास.उ.मा.वि., दर्राभाठा, वि.खं. मस्तूरी, जिला- बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनोज कुमार जायसवाल व्याख्याता एल.बी., जीवविज्ञान	शास.उ.मा.वि., कोदवागोडान, वि.खं. पण्डरिया, जिला- कबीरधाम	शास.बा.उ.मा.वि., चिगराजपारा, बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सविता जलक्षत्री, व्याख्याता एलबी जीवविज्ञान ई संवर्ग	शासकीय उ.मा.वि. सावित्रीपुर, विकासखण्ड- पिथौरा, जिला- महासमुंद	शासकीय नगर निगम उ.मा.वि. टिकरापारा, विकासखण्ड- धरसिंवा, जिला-रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अमित कुमार शर्मा व्याख्याता एल.बी., वाणिज्य	शास.उ.मा.वि., खैरझिटीकला, वि.खं. साजा, जिला-बेमेतरा	शास.उ.मा.वि., रामनगर बस्ती, जिला-रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती कल्याणी सिंह राजपूत व्याख्याता एल.बी., रसायन	शास.उ.मा.वि., चंदली, वि.खं. डभरा, जिला-सक्ती	शास.उ.मा.वि., सेरीखेड़ी, रायपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमति मिनी बारले व्याख्याता गणित	शास.हाई. स्कूल छड़िया वि.खं. पलारी जिला बलौदाबाजार	महात्मा गांधी शास. उच्च.वि.रीवा वि.ख. आरंग जिला रायपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मिली घोष, व्याख्याता भौतिकी	शा.उ.मा.वि. बरोण्डा वि.ख. फिंगेश्वर, जिला रायपुर	शा.उ.मा.वि. रावांभाठा वि.ख. धरसीवा जिला रायपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


24/4/26

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री अरविंद टोप्पो, व्याख्याता अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि.भवंरमाल वि.ख. रामचंद्रपुर जिला बलरामपुर	शा.क.उ.मा.वि. कुन्कुरी जिला जशपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती शायत्री देवांगन व्याख्याता, जीवविज्ञान	शास.उ.मा.वि., डमरू, जिला- बलौदाबाजार	शास.उ.मा.वि., जामुल, जिला-दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री तामेश्वर कुमार साहू व्याख्याता, वाणिज्य, ई- संवर्ग	शास.उ.मा.वि., उदयपुर, वि.खं. छुईखदान, जिला-के.सी.जी.	शास.उ.मा.वि., माटरा, वि.खं. धमधा, जिला-दुर्ग

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


24/4/26

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री लोकेश कुमार व्याख्याता, वाणिज्य	शास.उ.मा.वि., राम्हेपुर (एन), लोरमी, जिला-मुंगेली	शास.उ.मा.वि., टेमरी वि.खं. धमधा, जिला-दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


24/4/26

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती चेतन कुमारी गायकवाड़ व्याख्याता एल.बी., वाणिज्य	शास.उ.मा.वि., खरौद, वि.खं. पामगढ़, जिला जांजगीर-चांपा	शास.उ.मा.वि., केम्प 1, छावनी चौक, भिलाई, जिला- दुर्ग

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती खुशबु सिंह क्षत्रिय व्याख्याता, जीवविज्ञान	शास. हाईस्कूल, भरसेला (बड़ा), वि.खं. बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार	शास.उ.मा.वि., मरोदा टैंक भिलाई, जिला-दुर्ग


- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	जतीन कोटेचा व्याख्याता एल.बी., अंग्रेजी	शास. हाईस्कूल, खुर्सीटिकुल, जिला-राजनांदगांव	शास.उ.मा.वि., रुआबांधा, जिला-दुर्ग

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री कुलदीप कुमार व्याख्याता, जीवविज्ञान	शास.उ.मा.वि., चारभाटा, वि.खं. डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव	शास.उ.मा.वि., आदर्श, दुर्ग

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री हुपेन्द्र साहू, व्याख्याता एलबी जीवविज्ञान ई संवर्ग	शासकीय उ.मा.वि. कटई, विकासखण्ड नवागढ़ जिला बेमेतरा	शासकीय उ.मा.वि. कोडिया विकासखण्ड- दुर्ग जिला- दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती चित्रांशीमणी बिसेन व्याख्याता एल.बी., जीवविज्ञान	शास.उ.मा.वि., दारगांव, वि.खं. धमधा, जिला-दुर्ग	शास.उ.मा.वि., कोड़िया, दुर्ग

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमति सरिता खलखों व्याख्याता भूगोल	शास. हाई स्कूल सोनतराई वि.ख. उदयपुर जिला सरगुजा	शास. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्च. मा.वि. जशपुर वि.ख. जिला जशपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विश्वनाथ पटेल, दयाख्याता एलबी वाणिज्य ई संवर्ग	शासकीय कन्या उ.मा.वि. थानखम्हरिया, विकासखण्ड- साजा, जिला-बेमेतरा	शासकीय उ.मा.वि. कोटमी (3), विकासखण्ड- उभरा, जिला-सक्ती

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती हेमलता व्याख्याता, वाणिज्य	शास.उ.मा.वि., फरसेगढ़, वि.खं. भैरमगढ़, जिला- बीजापुर	शास.उ.मा.वि., भैंसबोड़, वि.खं. डोंडी, जिला-बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती गंगोत्री मारकण्डे व्याख्याता, जीवविज्ञान	शास.उ.मा.वि., कलेपरस, वि.खं. अंतागढ़, जिला-उ.ब. कांकेर	शास.उ.मा.वि., खलारी, वि.खं. डौंडी, जिला-बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती पार्वती देवांगन, व्याख्याता एलबी, संस्कृत ई संवर्ग	शासकीय कन्या हाईस्कूल कोसीर, विकासखण्ड- सारंगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल सलिहाघाट, विकासखण्ड- बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रेखा देवांगन, व्याख्याता एलबी, जीवविज्ञान ई संवर्ग	शासकीय कन्या हाईस्कूल सारंगढ़, विकासखण्ड- सारंगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़	शासकीय हाईस्कूल सलिहाघाट, विकासखण्ड- बिलाईगढ़, जिला-सारंगढ़ बिलाईगढ़

- ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती प्रमिला धिरहे, व्याख्याता एलबी अंग्रेजी ई संवर्ग	शासकीय उ.मा.वि. दतौंद, विकासखण्ड-जैजैपुर, जिला- सक्ती	शासकीय उ.मा.वि. किरारी, विकासखण्ड- मालखरौंदा, जिला- सक्ती

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती शशी किरण महंत, व्याख्याता एल बी अंग्रेजी टी संवर्ग	शासकीय कन्या उ.मा.वि. नैमेड, विकासखण्ड व जिला बीजापुर	शासकीय उ.मा.वि. पोंदुम विकासखण्ड- दंतेवाडा जिला-दंतेवाडा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गया प्रसाद मण्डावी, व्याख्याता राजनीति ई संवर्ग	शा.उ.मा.वि. गंगाटी वि.खं. भैयायान जिला सूरजपुर	शा.उ.मा.वि. बोरगांव वि.खं. फरसगांव जिला कोण्डागांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अनीता साहू, व्याख्याता एल.बी. वाणिज्य, ई संवर्ग	शा.उ.मा.वि. अल्दा, वि.ख. तिल्दा, जिला रायपुर	शा.उ.मा.वि. रावांभाठा जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती नमता दामले, व्याख्याता अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि. खुडमुडी, बेरला, जिला बेमेतरा	शा.उ.मा.वि. हीरापुर वि.ख. धरसीवा, जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अभिलाषा गौरहा, व्याख्याता वाणिज्य	शा.उ.मा.वि. मोपका, भाटापारा, जिला बालौदाबाजार	शा.उ.मा.वि. सेलर वि.ख. बिल्हा, जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रीना राजपूत व्याख्याता एल.बी., अंग्रेजी	सेजेस, शा.उ.मा.वि. गनियारी, वि.खं. तिल्दा, जिला-रायपुर	प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए शास. हाईस्कूल, आमासिवनी, वि.खं. धरसीवा, जिला-रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनिता पंडित, व्याख्याता अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि., गातापार कला, वि.खं. खैरागढ़, जिला-के.सी.जी.	शास.उ.मा.वि., कन्हारपुरी, वि.खं. राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मन्जु खण्डेलवाल, व्याख्याता, एल.बी. गणित	शास.उ.मा.वि., कुरुद (कुटेला), वि.खं. आरंग, जिला-रायपुर	शास.उ.मा.वि., सरोरा, वि.खं. धरसीवा, रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	लक्ष्मी कोशिमा, व्याख्याता, अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि., पेंवरो, वि.खं. गुरुर, जिला-बालोद	शास.उ.मा.वि. आदर्श, दुर्ग जिला-दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री लॉन कुमार कश्यप व्याख्याता एल.बी. गणित	शा.उ.मा.वि. गोलाबंड, जिला कोंडागांव	शास.उ.मा.वि. बस्तर जिला बस्तर वि.खं. बकावण्ड जिला बस्तर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

111-3

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनुरीता ठाकुर व्याख्याता वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.बम्हनी वि.खं. पिथौरा जिला-महासमुंद	शा.उ.मा.वि. चौरिला वि.खं. गुंडरदेही जिला बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संतोष कुमार राय व्याख्याता एल.बी. जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि.मोहड़ वि.खं. डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव	शा. हाई स्कूल लोलेसरा, वि.ख. बेमेतरा जिला-बेमेतरा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शिव प्रताप सिंह चौहान व्याख्याता (हिन्दी)	स्वा.अ.शा.उ.मा.वि. तोंगपाल वि.खं. छिंदगढ़ जिला-सुकमा	प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए शास. नवीन कन्या उ.मा.वि. पनारापारा जगदलपुर जिला बस्तर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	खगेश्वर साहू, व्याख्याता एल.बी. भौतिकी	शा.उ.मा.वि. कुनकुनी वि.खं. खरसिया जिला-रायगढ़	शा.उ.मा.वि. बरभौन वि.खं. खरसिया जिला-रायगढ़

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मनोज कुमार तिवारी ध्याख्याता भूगोल	शा.उ.मा.वि. कडारी वि.खं. बम्हनीडीह जिला-जांजगीर चांपा	शा. कन्या उ.मा.वि. बलौदा जिला-जांजगीर चांपा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सविता कंसारी व्याख्याता एल.बी. (राजनीति शास्त्र)	संत कवि पवन दीवान शा.उ.मा.वि. किरवई, जिला- गरियाबंद .	देवी संपदा शा.उ.मा.वि. राजिम वि.खं. फिंगेश्वर जिला-गरियाबंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती गंगोत्री मारकंडे व्याख्याता (जीव विज्ञान)	शा.उ.मा.वि.कलेपरस, वि.ख. अंतागढ़ जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	शा.उ.मा.वि. डोंडी वि.खं. डोंडी जिला-बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

24/4/26

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती गायत्री भगत व्याख्याता रसायन	शा.उ.मा.वि. पण्डरीपानी फरसाबहार जिला-जशपुर	शा.उ.मा.वि. गम्हरिया जशपुर जिला-जशपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	पुरुषोत्तम लाल उडसेना व्याख्याता (भूगोल) एल.बी. टी-संवर्ग	शा.उ.मा.वि. नेगानार वि.ख. दरभ, जिला-बस्तर	शा.उ.मा.वि. अकलवाड़ा वि.खं. छुरा जिला-गरियाबंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सितारा अग्रवाल व्याख्याता एल.बी. अंग्रेजी	शा. कन्या उ.मा.वि. सलका वि.खं.भैयाथान जिला-सूरजपुर	शा. हाई स्कूल मदनपुर रजकम्मा वि.खं. पाली जिला-कोरबा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

23

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती धनेश्वरी व्याख्याता (ई-संवर्ग) विषय वाणिज्य	शा.उ.मा.वि. टेमरी, वि.ख. नवागढ़ जिला-बेमेतरा	शा.उ.मा.वि. किरगी, वि.ख. डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


24/4/26

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री टंकेश्वर जायसवाल व्याख्याता-राजनीति	शास.हायर सेंकेण्डरी स्कूल जम्हारी, वि.खं.सरायपाली जिला-महासमुंद	शास.माधवराव सदाशिवराव हायर सेंकेण्डरी स्कूल सरायपाली मंदिर स्कूल जिला महासमुंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती लीना कुर्रे, व्याख्याता जीव विज्ञान ई संवर्ग	शा.हाई स्कूल भांठा वि.ख. लोरमी, जिला मुंगेली	शा.कन्या उ.मा.वि.कुदुदण्ड, जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री अर्चना बड़ा, व्याख्याता भूगोल, ई संवर्ग	शा.उ.मा.वि. कुरा, वि.ख. नवागढ़ जिला बेमेतरा	शा.हाई स्कूल धौराभाठा, वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती प्रणिता मोघे, ट्याख्याता एलबी, सामाजिक विज्ञान ई संवर्ग	शासकीय उ.मा.वि. जांजी, विकासखण्ड-मस्तूरी, जिला- बिलासपुर	शा.हाई स्कूल सैदा वि.ख. तखतपुर जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	चंचल कौशिक, च्याख्याता, हिन्दी	शास.उ.मा.वि., लखौली, जिला-रायपुर	शा.डी.एम.एस.उ.मा.वि.महासमुंद जिला महासमुंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	तूफान चंद नाशा व्याख्याता एल.बी. वाणिज्य	शा. कन्या उ.मा.वि. अमलीपट्टर वि.खं. मैन्पुर जिला गरियाबंद	शा.उ.मा.वि. पाटसिवनी वि.ख. छुरा जिला गरियाबंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आनंद सोनी व्याख्याता (वाणिज्य)	शा.उ.मा.वि. नेऊर वि.खं.- पण्डरिया जिला कबीरधाम	शा.उ.मा.वि. कोडापुरी वि.ख. तखतपुर जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दीपक मिश्रा व्याख्याता एल.बी. गणित	शास. हाईस्कूल लांजा वि.खं. सिमगा जिला बलौदाबाजार भाटापारा	शा.हाई स्कूल बेंदरची वि.ख. बोड़ला जिला कबीरधाम

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गीतांजली पुरेना व्याख्याता एल.बी. रसायन	शा.उ.मा.वि. चिखली, वि.खं. पिथौरा, जिला महासमुंद	शा.उ.मा.वि. भालुकोना जिला बलौदाबाजार भाटापारा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	प्रभात कुमार साहू व्याख्याता एल.बी. रसायन	शा.उ.मा.वि. झूरानदी वि.खं. छुईखदान जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	शा.उ.मा.वि. टेकारी वि.ख. आरग, जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री परदेशीराम नाग, व्याख्याता, इतिहास	शास.उ.मा.वि., कुरेनार, वि.खं. कोयलीबेड़ा, जिला-कांकेर	शास. हाईस्कूल, रावस, वि.खं. नरहरपुर, जिला कांकेर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शैलजा औंचार, व्याख्याता एल.बी., रसायन	शास.उ.मा.वि., नवागांव, वि.खं. सिमगा, जिला-बलौदाबाजार	शा.उ.मा.वि. भोथीडीह वि.ख. मगरलोड जिला धमतरी

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दिव्या शर्मा, व्याख्याता, वाणिज्य	शास.उ.मा.वि., सतभावा, वि.खं. तिल्दा, जिला-रायपुर	शास.उ.मा.वि. मठपुरैना वि.खं. धरसीवा जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती स्वाती सोनी, व्याख्याता, अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि., कोमाखान, वि.खं. महासमुंद, जिला- महासमुंद	शास.उ.मा.वि., कमरौद, वि.खं. बागबाहरा, जिला- महासमुंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	केशर प्रसाद बरेठ, व्याख्याता अंग्रेजी, टी. संवर्ग	शा.उ.मा.वि. जामझोर, वि.ख.- पत्थलगांव, जिला- जशपुर (छ.ग.)	शा.उ.मा.वि. उमरेली, वि.ख.- करतला, जिला- कोरबा

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मौसमी पात्रा व्याख्याता एल.बी. अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि. उमरेली, वि.ख.- करतला, जिला- कोरबा (छ.ग.)	शा.उ.मा.वि. उरगा वि.ख. व जिला कोरबा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रंजिता देवांगन, व्याख्याता, गणित	शा.उ.मा.वि. कोना, मुंगेरी (छ.ग.)	शा.एम.एल.बी.कन्या उ.मा.वि. दयालबंद, बिलासपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती छाया तिवारी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पंडित रविशंकर परिसर रायपुर	शास. उ.मा. शाला मोपका, वि.खं.-बिल्हा जिला- बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री संजय कुमार त्रिवेदी व्याख्याता भौतिकी	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मगरघटा, वि०ख० नान्दघाट, जिला बेमेतरा	आईआर यादव शासकीय बहुद्देशिय उच्चतर माध्यमिक शाला भाटापारा, वि०ख० भाटापारा, जिला बलौदाबाजार भाटापारा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ममता साहू, व्याख्याता, रसायन	डी.पी.एल. शा.उमा.शा. परसतराई, रायपुर	शा.उ.मा.शा. चंगोराभाठा, वि.ख.- धरसीवां जिला- रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनोज सिंह व्याख्याता रसायन	शा.उ.मा.शा. चंगोराभाठा, वि.ख.- धरसीवां जिला- रायपुर	शास. हाई स्कूल सकरी, वि.ख. आरंग, जिला रायपुर छ.ग.

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्वन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मुकेश कुमार कश्यप व्याख्याता गणित	शा.उच्च.मा.शा. सरगढ़ी वि.खं.लोरमी जिला मुंगेली	शा.उ.मा.वि. पठारीकापा वि.ख. लोरमी जिला मुंगेली

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री जागेश्वर प्रसाद साहू व्याख्याता एल.बी. भौतिकी	शा.हाई.स्कूल टेरम वि.खं.घरघोडा जिला-रायगढ़	शा.उ.मा.वि.मुसुमतरा वि.ख. नरहरपुर जिला कांकेर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ममता सोनी, व्याख्याता भौतिकी	शा.उ.मा.वि.मुरुमतरा वि.ख. नरहरपुर जिला कांकेर	शा.उ.मा.वि.देवी नवागांव वि.ख. नरहरपुर जिला कांकेर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पंचुराम व्याख्याता भौतिक	शा.उच्च.मा.वि. जमरगी डी संकुल केन्द्र जमरगी डी वि.खं.धमजयगढ़ जिला- रायगढ़	शा.उ.मा.वि. बरगढ़ वि.ख. खरसिया जिला रायगढ़

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शशि हरदीहा, व्याख्याता भौतिक	शा.उ.मा.वि. बरगढ़ वि.ख. खरसिया जिला रायगढ़	शा.उ.मा.वि.बरभौना जिला रायगढ़

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती लोकाश्वरी सोनगेर व्याख्याता एल.बी. रसायन शास्त्र	शा.उ.मा.वि. दरबा वि.खं.कुरुद जिला धमतरी	शा.उ.मा.वि. धौराभाठा वि.ख. डोंगरगांव जिला राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सुलोचना ठाकुर व्याख्याता अंग्रेजी एल बी	शा.हाई स्कूल पुटपुरा वि.खं.नवागढ़ जिला बेमेतरा	शा.हाई स्कूल मोपका वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक बिहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री पन्नोश पाण्डेय, व्याख्याता अंग्रेजी	शा.हाई स्कूल मोपका वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर	शा.हाई स्कूल धूमा, वि.ख. कोटा, जिला- बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

14/3

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विष्णु प्रसाद शुक्ला व्याख्याता एल.बी. अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि. लवसरा वि.खं. सक्ति जिला सक्ति	शा.उ.मा.वि.कन्या मस्तूरी वि.ख. मस्तूरी जिला बिलासपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दिनेश्वरी लहरे व्याख्याता एल.बी. संस्कृत	हाई स्कूल दर्री वि.खं. साजा जिला बेमेतरा	शा.हाई स्कूल पाहंदा वि.ख. बेरला जिला बेमेतरा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री विजय कुमार कश्यप व्याख्याता राजनीति शास्त्र	शा.हाई स्कूल बछौद वि.खं.बलौदा जिला जांजगीर चांपा	शा.उ.मा.वि. मोपका वि.खं.बिल्हा जिला बिलासपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती विनीता कश्यप व्याख्याता भौतिक	शा.उ.मा.शा. टैगनमाड़ा वि.खं. कोटा जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि.कन्या सीपत वि.ख. मस्तूरी जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ.सरोज चन्द्रश व्याख्याता भौतिक	शा.उ.मा.वि.कन्या सीपत वि.ख. मस्तूरी जिला बिलासपुर	शा.उ.मा.वि. सल्का नवागांव वि.खं. कोटा जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती संगीता कौशिक व्याख्याता ई संवर्ग रसायन	शा.उ.मा.वि. विश्रामपुर वि.खं. सिमगा जिला बलौदाबाजार	शा.उ.मा.वि. मोछ वि.खं. तखतपुर जिला बिलासपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री बिरेन्द्र राव मोहिते व्याख्याता वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.बोसीन वि.खं. गुरुर जिला बालोद	शिवसिंह वर्मा आदर्श कन्या शा.उ.मा.वि. धमतरी जिला धमतरी

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती तनुश्री देशपाण्डे व्याख्याता वाणिज्य	शा.उ.मा.वि. वि.खं. भोरिंग जिला महासमुंद	शा.उ.मा.वि.बढ़ईपारा रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एबजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अंजना साहू, व्याख्याता वाणिज्य	शा.उ.मा.वि.बढ़ईपारा रायपुर	शास.उ.मा. शाला, मानिकचौरी, अभनपुर जिला रायपुर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती पूजा शर्मा, व्याख्याता भौतिक	शा.उ.मा.वि. रायपुर वि.खं. कुरुद जिला धमतरी	शा.उ.मा.वि. पहंडोर वि.ख. पाटन जिला दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती विनीता राठौर, व्याख्याता, जीवविज्ञान	शा. हाई स्कूल लाखसार, वि.ख. लोरमी, जिला-मुंगेली	जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती दीपिका महेश्वरी, व्याख्याता, जीवविज्ञान	शास.उ.मा.वि., पौड़, वि.खं. अभनपुर, जिला-रायपुर	जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनील कुमार साहू व्याख्याता, अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि. चिरचारीकला, वि.ख. छुरिया, जिला- राजनांदगांव	जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव पर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुषमा वर्मा कश्यप व्याख्याता, वाणिज्य	शा.उ.मा.शा. बिरगांव, वि.ख. व जिला-मुंगेली	जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुगंधा भिडे साहू, व्यख्याता अंग्रेजी	शा.हाई स्कूल हरडुवा, वि.ख. व जिला- राजनांदगांव	शा.उ.मा.वि. रामनगर वि.ख. व जिला दुर्ग

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	राम कुमार यादव व्याख्याता, इतिहास	शा.उ.मा.वि. आम्बाबेड़ा, वि.ख. अंतागढ़ जिला- कांकेर	शास.उ.मा.वि. लमडांड वि.ख. लैलूंगा जिला रायगढ़

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मनोज कुमार साय व्याख्याता, रसायन	शा.उ.मा.वि. उच्चभिट्टी, वि.ख. सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़	जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती मोनिका वर्मा व्यख्याता अंग्रेजी	शा.उ.मा.वि. रामनगर वि.ख. व जिला दुर्ग	शा.उ.मा.वि. सुपेला भिलाई वि.ख. व जिला दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	बीनु चन्द्रा व्याख्याता, भौतिक	शा.उ.मा.वि. राबो, वि.ख. तमनार, जिला- रायगढ़	शास.उ.मा.वि. सरवानी वि.खं. खरसिया जिला रायगढ़


- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

444

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	गार्गी कश्यप व्याख्याता, भौतिकी, ई-संवर्ग	शास.उ.मा.वि., सेंटर, वि.खं. फिंगेश्वर, जिला-गरियाबंद	शा.उ.मा.वि. सुन्दरकेरा वि.ख. अभनपुर जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती षष्टिका धर्माधिकारी व्याख्याता एल.बी., गणित	शास.उ.मा.वि., गिदरी, वि.खं. छुरिया, जिला-राजनांदगांव	शा.उ.मा.वि. उरला वि.ख. दुर्ग जिला दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री चंद्रिका प्रसाद यादव व्याख्याता, भूगोल	शास.उ.मा.वि., कछोड़, वि.खं. मनेंद्रगढ़, जिला-एम.सी.बी.	शा.उ.मा.वि. कुन्नी वि.ख. लखनपुर जिला सरगुजा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री खेवेन्द्र कुमार जायसवाल व्याख्याता, गणित, ई	शास.उ.मा.वि., गुचकुलिया, वि.खं. जैजैपुर, जिला-सक्ती	शा.उ.मा.वि., बरपालीकला, वि.खं. सक्ती, जिला सक्ती

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	रीता चंद्राकर, व्याख्याता, एल.बी. वाणिज्य	शा.उ.मा.वि. केसदा वि.ख. सिमगा जिला- बलौदाबाजार छ.ग.	शा.उ.मा.वि. गुण्डरदेही वि.ख. गुण्डरदेही जिला बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	लालेन्द्र कुमार, व्याख्याता, भौतिक शास्त्र	शा.उ.मा.वि. खुंदनी वि.ख. गुरुर, जिला बालोद छ.ग.	शा.उ.मा.वि. गब्दी वि.ख. गुण्डरदेही जिला बालोद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री निर्मल कुमार सिन्हा, व्याख्याता, जीव विज्ञान	शा0हाई0स्कूल हाड़ीगांव विकासखण्ड कोण्डागांव	शा.बालक उ.मा.वि. कोण्डागांव जिला कोण्डागांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मधु गुप्ता व्याख्याता, एल.बी. जीवविज्ञान	शा.क.उ.मा.वि.देवभोग, जिला- गरियाबंद	शा.हाई स्कूल सिंधौरी वि.ख. फिंगेश्वर जिला गरियाबंद

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती शशिकला ज्योति एक्का व्याख्याता, एल.बी. राजनीतिविज्ञान	शा.हाई स्कूल इंद्रप्रस्थ पी.वी.39 वि.ख. कोयलीबेड़ा, जिला- कांकेर	शा.हाई स्कूल ठाकुरपौडी वि.ख. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	डॉ. अन्नू अग्रवाल व्याख्याता, भौतिकी	शा.उ.मा.वि. किरना वि.ख.- तिल्दा जिला- रायपुर	शा.पं.गिरजा शंकर उ.मा.वि.रायपुरा जिला रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मनोज कुमार साहू व्याख्याता (एल.बी.) गणित टी संवर्ग	शासकीय उ.मा.वि. दुगली, तह. नगरी, जिला धमतरी	जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वंदना मेंदें व्याड्याता, गणित	शास.क.उ.मा.वि., डोंगरगढ़, जिला-राजनांदगांव	जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीश कुमार पाण्डेय व्याख्याता एलबी., गणित	शास.उ.मा.वि., उदयपुर, वि.खं. छुईखदान, जिला-के.सी.जी.	शा.उ.मा.वि. टेकट्टा वि.खं. : डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सारिका साहू व्याख्याता, अर्थशास्त्र	शास.उ.मा.वि., चिचोला, वि.खं. खैरागढ़, जिला-के.सी.जी.	शास.हाईस्कूल बजरंगपुर नवागांव, वि.खं. राजनांदगांव, जिला- राजनांदगांव

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रैनसिंह दरो व्याख्याता, राजनीति	शास.उ.मा.वि., संगम, वि.खं. कोयलीबेड़ा, जिला-कांकेर	शा.हाई स्कूल कोकानपुर वि.ख. भानुप्रतापपुर जिला कांकेर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सुश्री लता यादव व्याख्याता एल.बी.अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि., दगौरी, वि.खं. बिल्हा, जिला-बिलासपुर	जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के विकल्प पर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सुनीता वर्मा व्याख्याता, एल.बी., जीवविज्ञान	शास. हाईस्कूल, मानिकपुर, वि.खं. नवागढ़, जिला-बेमेतरा	शास.उ.मा.वि., कुम्हारी, वि.खं. आरंग, जिला-रायपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	दिनेश्वरी निषाद, व्याख्याता भौतिकी	शास.कन्या उ.मा.वि. सारागांव वि.खं. बम्हनीडीह जिला- जांजगीर-चांपा	शास.उ.मा.विद्यालय फर्सवानी वि.खं. सारगढ़ जिला-सारगढ़-बिलाईगढ़

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ललित कुमार, व्याख्याता, भौतिकी	शास.उ.मा.वि. बड़ादमाली जिला सरगुजा	शा.उ.मा.वि. मेन्डाकला जिला सरगुजा

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती निशा, व्याख्याता एल.बी. रसायन	शा.उ.मा.वि. देवरी (ख) वि.खं. गुण्डरदेही जिला बालोद	शा.उ.मा.वि. खपरी वि.खं. व जिला दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमति जया आर्मो व्याख्याता रसायन	शा. उ. मा. वि.अमका वि.ख.खडवां जिला-मनेन्द्रगढ़ घिरमीरी भरतपुर	शा. उ. मा. वि.जोगीसार वि.ख. गौरैला जिला गौरैला पेण्ड्रा मरवाही

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री गौतम कुमार सोरी ट्याख्याता रसायन	शा. उ. मा. वि. संगम वि. ख. कोयलीबेड़ा जिला- कांकेर	शा. उ. मा. वि. लिलेझर वि. ख. चारामा जिला कांकेर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रामेश्वर साहू व्याख्याता गणित	शा.उ.मा.वि. जरौंघा वि.ख. खडगंवा जिला-एमसीबी	शा.उ.मा.वि. कन्या जनकपुर वि.ख. भरतपुर जिला म.चि.भरतपुर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शांति कुमार पाण्डेय व्याख्याता संस्कृत	शा.उ.मा.वि. धौराभाठकला वि.ख. नवागढ़, बेमेतरा	शा.उ.मा.वि.तेदूभाठा वि.ख. नवागढ़, जिला-जांजगीर- चांपा

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती सविता सिन्हा, व्याख्याता एल.बी., अंग्रेजी	शास.उ.मा.वि., कनसिंघी, वि.खं. छुरा, जिला-गरियाबंद	शा.हाई स्कूल हरदी वि.ख. व जिला गरियाबंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री शिवेन्द्र कुमार ध्रुव, व्याख्याता एल.बी., अंशोजी	शास. हाईस्कूल, हरदी, वि.खं. गरियाबंद, जिला-गरियाबंद	शास.उ.मा.वि., कनसिंधी, वि.खं. छुरा, जिला गरियाबंद

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती रश्मि नेमा व्याख्याता जीवविज्ञान	शा.उ.मा.वि. बोहारा वि.खं. व जिला बालोद	शा.उ.मा.वि. खपरी(जुनवानी) भिलाई वि.ख. दुर्ग जिला दुर्ग

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	देवनारायण देवांगन व्याख्याता, गणित	शास.उ.मा.वि. परसवानी वि.खं. पिथौरा जिला-महासमुंद	जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मुरली पटेल व्याख्याता (एल.बी.)	शा. हाई स्कूल छिछली (अ), वि. खं. बगीचा, जिला जशपुर	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य भावा जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनमणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती पूर्णेन्दु पटेल व्याख्याता (रसायन शास्त्र)	शास. उ. मा. वि. बोईरडीह, वि. खं. बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती कल्पना पटेल व्याख्याता (एल.बी.) जीव विज्ञान	शास. उच्च. माध्य. विद्यालय, किरोडीमल नगर, रायगढ़	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती दीपमाला यादव व्याख्याता (एल.बी.) भौतिक	शास. उ. मा. शा. सरवानी (बम्हनीडीह), जिला जांजगीर- चांपा	जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती किरण वर्मा व्याख्याता	शा.हाई स्कूल सिंगधरी, जिला बिलासपुर	जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के विकल्प पर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती प्रमिला मिरी व्याख्याता, जीव विज्ञान	शास. उ. मा. वि. गोबरीपाठ, वि. खं. कोटा, जिला बिलासपुर	जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती निधि नहरेल व्याख्याता एल.बी	शा.हा.स्कूल बहिरकेला, वि.खं. घरघोड़ा, जिला रायगढ़	जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।

3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

// आदेश //

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रामेश्वर साहू व्याख्याता गणित	शा.उ.मा.वि. जरींधा वि.ख. खडगंवा जिला-एमसीबी	जिला शिक्षा अधिकारी म.चि.भरतपुर के विकल्प पर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026


क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	खेमराज कुम्भकार, व्याख्याता एल.बी.	शास.उ.मा.वि.कुरुद (कुटेला) वि.खं. आरंग जिला-रायपुर	जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के विकल्प पर

- 2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।
- 3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।
- 4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।
- 5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 24/04/2026

क्रमांक ESTB-1/1898/2026/20-3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नलिखित शासकीय सेवक को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम नं. 4 में दर्शित स्थान पर स्थानांतरित करते हुए तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती करमवती परहा	शास. उ. मा. विद्यालय छोटे तुमनार, वि.खं. गीदम, जिला दन्तेवाड़ा	जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के विकल्प पर

2/ ई संवर्ग से टी संवर्ग अथवा टी संवर्ग से ई संवर्ग में स्थानांतरण होने की स्थिति में स्थानांतरण शून्य माना जावेगा।


3/ स्थानांतरण उपरान्त शाला शिक्षक विहीन होने पर सम्बन्धित को कार्यमुक्त नहीं किया जावेगा।

4/ जनगणना कार्य में नियोजित शिक्षकों को जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन के उपरान्त ही कार्यमुक्त किया जावेगा।

5/ अनुसूचित क्षेत्र से गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदस्थ किये गये अधिकारी/कर्मचारी को एवजीदार द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर ही जिले के कलेक्टर के लिखित अनुमोदन उपरान्त कार्यमुक्त किया जावेगा।

(समन्वय में अनुमोदित)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(आर.पी.वर्मा)


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान. मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर, छ.ग.।
5. संबंधित कलेक्टर, छ.ग.।
6. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग, छ.ग.।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, छ.ग.।
8. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.।
9. संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, छ.ग.।
10. संबंधित प्राचार्य
11. संबंधित अधिकारी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12. गार्ड फाईल।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग